स्वच्छता कार्नर–स्वच्छ विद्यालय की ओर, एक सार्थक प्रयास
अम्बागढ़ चौकी विकास खण्ड, राजनन्दगांव

शैक्षणिक वर्ष 2015–16, की शुरूआत से ही विकास खण्ड–अम्बागढ़ चौकी, जिला–राजनन्दगांव में, शाला प्रवेशोत्सव के साथ ही, स्वच्छ विद्यालय की परिकल्पना को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने का संकल्प लिया गया, तांकि बच्चे स्वच्छ व्यवहार अपनायें, स्वस्थ रहें, और बेहतर शैक्षणिक प्रगति कर सकें।

इसी क्रम में विकासखण्ड के सभी 243 शालाओं, में स्वच्छता कार्नर की स्थापना की परिकल्पना की गयी। स्वच्छता कार्नर के पीछे यह सोच रही है, कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में अच्छा दिखनेऔर सुन्दर/स्मार्ट बने रहने की चाह रहती है। यह व्यक्तिगत स्वच्छता से जुडा हुआ मुद्दा है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी और विकास खण्ड स्रोतसमन्वयक कार्यालय, की इस पहल में, व्यक्तिगत स्वच्छता को बच्चों के शाला के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों हेतु, ताजगी, स्फूर्ति के साथ सक्रिय व आत्मविश्वास के साथ रहने के लिए आवश्यक समझा गया है।

स्वच्छता कार्नर, के अर्न्तगत विद्यालय भवन (कक्षा/बरामडा/कक्ष यदि उपलब्ध हो तो) कें एक कार्नर को इस प्रकार से विकसित किया जाता है, कि विद्यार्थी शाला अवधि के दौरान वहां अपनी सुविधानुसार जाकर, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का स्वयं मूल्यांकन कर सकें, और अपने को आवश्यकतानुसार संवार सकते हैं।

स्वच्छता कार्नर के इस कार्य में, डॉ प्रियंका शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनन्दगांव के मार्गनिर्देशन में जिले मे चल रहे "स्वच्छ भारत मिशन" अभियान में सक्रिय विकास खण्ड के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सोच की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विगत कुछ महीनों मे क्षेत्र की कुछ पंचायतें, स्थानीयनेतृत्व में, विशेष प्रयासों से खुले में शौच से मुक्त हुई हैं, जिनमें स्थानीय विद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वच्छता के प्रति एक माहौल भी बना है। क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, श्री रजत बंसल का इन गतिविधियों में विशेष रूचि, उत्साहवर्धन व मार्गनिर्देशन रहा है।

स्वच्छता कार्नर में प्रायःदर्पण, कंघी, तेल, नाखून कटर, ऐन्टिसेप्टिक क्रीम, साबुन, नेपकिन,स्वच्छ तौलिया, कैंची, डेटोल, सजावटी सामान, हार्पिक, डस्टबिन, परदा आदि सामाग्री पाये जा सकते हैं, जो कि बच्चों को शाला में, एक प्राइवेट स्थान(space) उपलब्ध कराता है, जहां वे अपने व्यक्तित्व (pesonality)को निखार सकते हैं। इसे सफाई पार्लर के नाम से भी जाना जा रहा है।

स्वच्छता कार्नर हेतु, विद्यालय शिक्षक अपने स्तर पर ही स्वयं ही मिलकर व स्थानीय सहयोग से संसाधन जुटाते हैं। इस स्वच्छता कार्नर की अनुमानित लागत, आवश्यकतानुसार रू 500 से रू 3000 तक आ सकती है।

यह पहल स्वच्छ भारत,स्वच्छ विद्यालय के एक मुख्यघटक स्वच्छता **व्यवहार** (व्यक्तिगत स्वच्छता) से जुडी है, पर विद्यालय में इसके माध्यम से बच्चों में अन्य स्वच्छताघटकों पर भी चर्चा करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। कुछ खास महसूस किये जा रहे, बदलाव निम्न हैं–

- व्यवहारिक रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने का निजी प्राइवेट माहौल (दर्पण, कंघी, नाखून कटर, साबुन आदि तक किसी भी समय बच्चों की पहुंच में)
- शाला के समय अवधि में अपने चेहरे, शरीर व कपडे/ड्रेसिंग को ठीक से रखने का भाव पैदा होने के साथ स्व–अनुशासन
- स्वच्छता कार्नर के प्रबन्धन में बच्चों के समूह– बाल

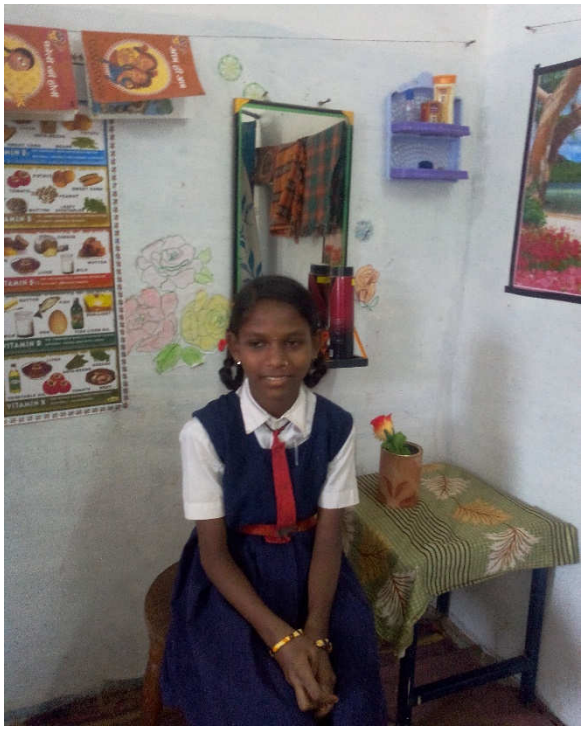

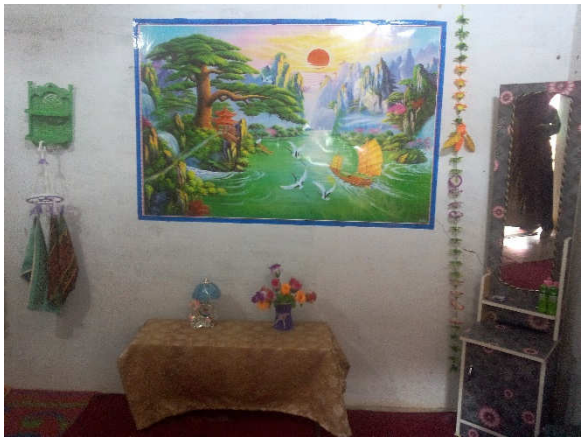

संसद की सक्रिय भूमिका से उनका व्यक्तित्व विकास

- बच्चों के मन में साफ सुथरे रहने और स्वच्छ कपडों में आने की उत्सुकता (साबुन की मांग, व्यक्तिगत सफाई के प्रति संवेदनशीलता)
- कुछ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, जिनके अभिभावक घरेलु व्यस्तताओं/परिस्थितियों की वजह से सुबह बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, उनके बच्चों को शाला में समयानुसार खुद को संवारनें के अवसर– और फिर इस व्यवहार को घर व जीवन में उतारने की चाह।
- कागज/ कचरा, ईधर–ऊधर फेंकने की प्रथा में रोक
- स्वच्छता कार्नर के माध्यम से स्वच्छ विद्यालय के अन्य स्वच्छता व्यवहार जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, नियमित साबुन से हाथ धुलाई, कुडे का प्रबन्धन, परिसर में वृक्षारोपण, सौन्दर्यीकरण आदि विषयों पर भी पहल जैसे उच्च प्राथमिक शाला– समर बाधा, प्राथमिक शाला– केसला, प्राथमिक शाला– अम्बागढ़ चौकी आदि में।

कुछ बच्चे ऐसे है, जिनके घर में, कुछ कारणवश सीमित व्यक्तिगत, देखरेख ही मिल पाती है जैसे अम्बागढचौकी के वार्ड न 8 के प्राथमिक शाला मे कक्षा पांचवी में पढने वाला, बालक रामलाल, जिनके घर में बच्चें की देखरेख के लिए सिर्फ उनकी दादी हैं, जो किसी प्रकार परिवार की जिम्मेदारी संभालती हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्वच्छता कार्नर एक नया अनुभव है। विद्यालय ने बच्चे को एक टूथ पेस्ट, और ब्रश उपलब्ध कराया है, जिससे छात्र ने जीवन में पहली बार इसका उपयोग किया।

शाला में– स्वच्छता कार्नर के परिकल्पना की इस शुरूआत का असर न केवल विद्यालय तक ही है, बल्कि यह बच्चों के माध्यम से परिवारों, समुदाय के स्वच्छता व्यवहार को बेहतर करनें में सहायक सिद्वहो रहा है।

विकास खण्ड, स्तर की पहल पर,उपरोक्त प्रयास स्थानीय हितग्राही (शिक्षक, बच्चे, परिवार, समुदाय)एक टीम के रूप शामिल हैं। विकास खण्ड में शिक्षा विभाग से जुडे मुख्य अधिकारी व सहयोगी "स्वच्छता कार्नर" की पहल को मिली शुरूआती सफलता से काफी उत्साहित हैं, और इसके माध्यम से स्वच्छ विद्यालय के सपने को साकार करने में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। उपरोक्त प्रयास में अपनायी गयी प्रक्रिया निम्न अनुसार है–

- मई– जून, 2015 में "स्वच्छता कार्नर" अवधारणा पर कार्य किया (मुख्यतः विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक, साक्षरता कार्यक्रम के सक्रिय साथी, संकुल समन्वयक आदि द्वारा)
- 4 जोन में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के सामान्य प्रवेशोत्सव 2015–16, के आमुखीकरण के साथ–साथ 30 मिनट का "स्वच्छता कार्नर" पर सत्र
- प्रवेशोतस्व से पूर्व केसला प्राथमिक विद्यालय, में स्वच्छता कार्नर का मॉडल के रूप में प्रदर्शन यूनिट
- सोसल मीडिया, व्हाटस अप के उपयोग से प्रयास का स्थानीय प्रचार–प्रसार
- शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सहयोगी सामाग्री की व्यवस्था, (मुख्यतः स्वयं के योगदान सें)
- "स्वच्छता कार्नर" का कियान्वयन व सशक्तिकरण में बच्चों के समूह/बाल केबिनेट की भूमिका और दैनिक स्वच्छता चर्चा में शामिल किया जाना।

- "स्वच्छता कार्नर" के साथ स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय के अन्य सम्बन्धित घटकों में सुधार पर ध्यान

- स्वयं का व्यक्तिगत जुडाव, आवश्यकतानुसार सुझाव व सहयोग से

विकास खण्डमें चलाये जा रहे इस "स्वच्छता कार्नर" पहल का किसी भी विद्यालय में, आसानी से रेपलिकेशन (अपनाया जाना) सम्भव है। इसका क्रियान्वयन मात्र 2 हफ्ते के अन्दर किया जा सकता है। सफल क्रियान्वयन के लिए निम्न खास शर्तें आवश्यक हैं– "स्वच्छता कार्नर" के लिए एक उपयुक्त न्यूनतम स्थान की उपलब्धता, आमुखीकरण, विभागीय इच्छाशक्ति, स्वच्छ विद्यालय की विस्तृत फ्रेमवक के सोच या विजन का होना, न्यूनतम स्थानीय रिर्सोस मोबीलाइजेशन की मनसा, और सफाई शिक्षा को भी पर्याप्त महत्व व स्थान। अवधारणा, **कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छा, दिखने और बने रहनें की मानसिक प्रवृति रहती है**,इस पहल का एक **मूल सिद्वान्त** है। जिस शाला में शिक्षक में, प्रत्येक बच्चे को अपने बच्चे के रूप में संरक्षण देने की सोच है, वहां यह प्रयास जल्दी और स्थायी परिणाम दे सकते हैं।

इस प्रकिया के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने के लिए निम्न चुनौतियों की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है– सहयोग सामाग्री का अनावश्यक उपयोग न होना, शिक्षक के विश्वास, जुडाव और लगन में कमी, स्वच्छता कार्नर के सामाग्रीयों जैसे कंघी, स्वच्छ वाश तौलिये आदि की स्वच्छता बनाये रखना, इस कार्य को दिनचर्या का एक हिस्सा न समझकर, एक बोझ समझना आदि।

अतः "स्वच्छता कार्नर" के माध्यम से स्वच्छ विद्यालय व शैक्षिक वातावरण के सपने को साकार करने/निरन्तरता बनाये रखने के लिए, विद्यालय का विजन, एक कार्यप्रणाली और कुशल नेतृत्व की महत्वपूर्ण है।

"स्वच्छता कार्नर"एक अनुकरणीय पहल है, जिनके सार्थक परिणामों को "स्वच्छ विद्यालय" के सन्दर्भ मे, अम्बागढ़ चौकी विकास खण्ड, राजनन्दगांव के विद्यालयों में महसूस किया जाने लगा है।इस पहल के सन्दर्भ में अधिक जानकारी निम्न सन्दर्भ व्यक्तियों से सम्पर्क किया जा सकता है–

- श्री मनोज मरकाम, बी. आर. सी., अम्बागढ़ चौकी, राजनन्दगांव मोबा.–09406136720
- श्री रूपेश तिवारी, संकुल समन्वयक, अम्बागढ़ चौकी, राजनन्दगांव–09685843407
- श्री आसीफ खान, साक्षर भारत कार्यकम, अम्बागढ़ चौकी, राजनन्दगांव

———————————————

Case Study Written by:
Ram Chandra Singh, Consultant SBSV,SSA-UNICEF, Chhattisgarh